

प्रेसनोट दिनांक 15.04.2021

1. दिनांक 14.04.21 को वादी उ0नि0 श्री विवेक कुमार सिंह थाना को0अयोध्या अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि चॉद तारा पुत्र अनिल विश्वकर्मा नि0 रामदत्तपुर अटरॉवा थाना को0अयोध्या अयोध्या मतदान स्थल प्राथमिक विद्यालय के बाउन्ड्री व दीवाल पर प्रधान पद के प्रत्याशी चॉद तारा द्वारा अपना पोस्टर चिपका आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करना। जिसके संबंध में थाना को0अयोध्या में मु0अ0सं0 202 / 21 धारा 188, 171एच भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
2. दिनांक 14.04.21 को वादी उ0नि0 श्री रणजीत यादव थाना तारून अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि आजाद वीर कन्नौजिया पुत्र राधेश्याम उर्फ पप्पू नि0 बरॉव थाना तारून अयोध्या आदि 16 नफर अभिर्गण द्वारा एकत्र होकर अपने—अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए भीड़ एकत्र कर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करना। जिसके संबंध में थाना तारून में मु0अ0सं0 96 / 21 धारा 188, 171एच भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
3. दिनांक 14.04.21 को वादी व0उ0नि0 श्री प्रदीप कुमार सिंह थाना इनायतनगर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि चॉद अली पुत्र जलील अहमद नि0 पलिया लोहानी थाना इनायतनगर अयोध्या आदि 04 नफर व कुछ अज्ञात व्यक्ति प्रचार अवधि समाप्त होने के बावजूद अभिर्गण द्वारा एकत्र होकर प्रधान पद प्रत्यासी अभिषेक सिंह (भोला) का प्रचार कर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करना तथा महामारी फैलने की सम्भावना होना। जिसके संबंध में थाना इनायतनगर में मु0अ0सं0 180 / 21 धारा 188, 171एच, 269 भादवि व 3 महामारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
4. दिनांक 14.04.21 को वादी उ0नि0 श्री शैलेश कुमार त्रिवेदी थाना इनायतनगर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि कौशिल्या यादव जिला पंचायत सदस्य पद प्रत्याशी ब्लाक मिल्कीपुर तृतीय इनायतनगर अयोध्या आदि 04 नफर प्रचार अवधि समाप्त होने के बावजूद अभिर्गण द्वारा स्कार्पियो, टाटा सफारी व इओन कार पर पोस्टर बैनर लगाकर प्रचार प्रसार कर आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करना। जिसके संबंध में थाना इनायतनगर में मु0अ0सं0 181 / 21 धारा 188, 171एच भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
5. दिनांक 14.04.21 को वादी श्री नीरज सिंह प्रभारी निरीक्षक खण्डासा अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि अनूप कुमार सिह पुत्र वीनेश कुमार सिह नि0 चितौरा थाना खण्डासा अयोध्या आदि 16 नफर व 200 अज्ञात व्यक्ति अभिर्गण द्वारा जुलूस निकालकर धारा 144 द0प्रसं0 व कोविड-19 के शर्तों का उल्लंघन करना तथा कहने पर न मानते हुए कार्य सरकार में बाधा डालते हुए पुलिस बल से अभद्रता करना। जिसके संबंध में थाना खण्डासा में मु0अ0सं0 73 / 21 धारा 188, 171एच, 269, 504, 353 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।